कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांकः मु0चि0अ0 / तम्बाकू नि0 प्रकोष्ठ / 2019—20 दिनांकः 24.03.2020

समस्त कार्यालय अध्यक्ष
बुलन्दशहर।

विषयः—जनपद में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमित के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान मसाला एवं तम्बाकू उपभोग को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019—2020 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18.03.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।

चूँकि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशित लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रुप से सेवन करते है, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाले का सेवन कर इधर—उधर थूकने से (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउददेशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल सी0ओ0टी0पी0ए0—2003 के नियमों / उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पानमसाला खाकर यत्र—तत्र थूकने पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर।

पत्रांकः मु0चि0अ0 / तम्बाकू नि0 प्रकोष्ठ / 2019—20 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0प्र0, लखनऊ को सादव सूचनार्थ प्रेशित।
3. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर। (2476)
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें। (2477)
5. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (2478)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर।